प्रा0पत्र/06/2021 न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

राज.सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय भरतपुर .....प्रार्थी

बनाम

मै0 चन्द्रावती होस्पीटेलिटी एण्ड ट्यूरिज्म, Add NH &11 Near Swaraj Resort Bharatpur

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित सपठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्ण) आदेश 2015

उपस्थित :–
1–पैरोकार सरकार रसद
2–अप्रार्थी अनुपस्थित

निर्णय दिनांक 20–03–2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पुलिस थाना उद्योग नगर द्वारा दी गई सूचना पर दिनांक 12.12.2021 को उद्योग नगर पुराना क्षेत्र में चौधरी धर्मकाटे की बगल वाली गली मे स्थित गोदाम मे पहुंचे। यह स्थान श्री सोमनाथ सारस्वत के स्वामित्व का है जिसे चन्द्रावती होस्पीटेलिटी एवं ट्यूरिज्म खाद्यान्न परिवहनकर्ता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि लोकेन्द्र सिंह को किराये पर दिया गया है, इस स्थान का अवलोकन करने पर पाया कि परिसर में घुसने पर पहले खुला स्थान फिर बांयी ओर टीन सेड के नीचे लूज गेहू एवं उसके निकट पीली मिट्टी का ढेर है। दायी ओर भी एक पीली मिट्टी का ढेर है उसी ओर एक लूज गेंहू का ढेर व कुछ खुले गेहूं के कट्टे जिनमें मिट्टी मिश्रित गेहू भरा है लूज गेहूँ में भी मिट्टी मिली पाई। टीन सेड के एक कोने में एफसीआई के भरे सिले कट्टे व पीछे की ओर भी एफसीआई के 50 किग्रा भरती के 26 कट्टे प्लास्टिक बैग परिसर में पीछे पाये जिन पर Government of punjab व Government of Haryana अंकित है। उक्त कट्टे 50 किग्रा भार के सिले हुये कुल 72 कट्टो के अतिरिक्त समस्त गेहूँ लूज व मिट्टी मिश्रित हैं। समस्त लूज गेहूँ के दोनों ढेरों एवं 103 लूज कट्टो को मजदूरों के माध्यम से छलने से छनवा कर मिट्टी को अलग करवाया गया व परिसर में उपलब्ध कट्टा व अन्य गेहूँ हेतु कट्टे मंगवाये जाकर सफाई के बाद बारदाना रहित गेहूँ की 50 किग्रा मात्रा प्रत्येक कट्टे में भरवाई गयी। चूँकि यह परिसर अधिकृत परिसर नहीं है उक्त फर्म द्वारा गेहूँ उठाव का समस्त कार्य दिनांक 30.11.2021 को एफसीआई से पूर्ण कर लिया गया है जो

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

कि एस.सी.एम पोर्टल (सप्लाई चैन मैनजमेन्ट) के प्रावधान अनुसार 2–12–2021 तक उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंच जाना चाहिए था, परन्तु आज दिनांक वक्त जांच तक एस.सी.एम. पोर्टल पर अभी तक कुल NFSA REGULAR दिसम्बर 2021, 11085.31 क्विंटल तथा PMGKAY नवम्बर 2021 अतिरिक्त 6906.40 क्वि. अर्थात कुल 17991.71 क्वि. गेहूँ अपडेट नहीं है अर्थात उचित मूल्य दुकानों तक नहीं पहुंचा है। मै0 चन्द्रावती होस्पीटेलिटी एण्ड ट्यूरिज्म जो कि एफसीआई से गेहूँ का उठाव कर उचित मूल्य दुकानो तक परिवहन कर पहुंचाने हेतु राजस्थान खाद् एवं आपूर्ति निगम द्वारा अधिकृत है जिसके अधिकृत प्रतिनिधी के रुप में लोकेन्द्र सिंह एवं ओमप्रकाश सिंह कार्य करते है। लोकेन्द्र सिंह जिसे मौके पर पुलिस द्वारा रोक कर रखा गया है से पूछताछ करने पर उसने यह परिसर कुछ दिन पूर्व प्रभात शर्मा से किराये पर लेना बताया उक्त गोदाम परिसर की अनुमति नहीं लेने के कारण यह अनाधिकृत गोदाम है। अतः मोका परिस्थिति से एफसीआई से गेहूँ का उठाव कर एफपीएस तक नहीं पहुंचना अनाधिकृत स्थल पर गेहूँ का भण्डारण करना, गेहूँ में मिट्टी मिला कर वितरण हेतु तैयार करना स्पष्ट रुप से पाया गया। उक्त गेहूँ के अतिरिक्त एफपीएस तक नहीं पहुंचे गेहूँ का भी विपथन स्पष्ट होता है। उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 का स्पष्ट उल्लंघन है। मौके पर 50 किग्रा. के एफसीआई के 72 कट्टे व 50 किग्रा0 के तैयार किये गये कट्टे जिन्हे मिट्टी अलग कर छान कर तैयार किया जिसकी संख्या 477 है। कुल 549 कट्टे जिनमें गेहूँ की मात्रा 274.50 क्वि0 है को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के खण्ड 11(2) व (3) परन्तुक (1) व (11) के तहत विपथन/ बदलना होने के कारण जप्त सरकार किया गया है। उक्त प्रकरण में मौके पर प्रबंधक नागरिक आपूर्ति भरतपुर द्वारा पुलिस थाना उद्योग नगर में परिवहनकर्ता मै0 चन्द्रावती होस्पीटेलिटी एवं टयूरिज्म फर्म के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 343/2021 अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के धारा 3/7 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 406, 272, एवं 120बी में दर्ज कराई गई। इस प्रकार मोके पर कार्यवाही के दौरान पाई गई मौका परिस्थितियों के साक्ष्यों के आधार खाद्यान्न परिवहनकर्ता मै0 चन्द्रावती होस्पीटेलिटी एण्ड ट्यूरिज्म फर्म एंव उसके प्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित गेहू का उचित मूल्य की दुकानों तक नहीं पहुंचना अवैध गोदाम मे गेहूँ का लूज कर मिट्टी मिलाकर कट्टों में भरना, भारतीय खाद्य निगम से गेहूँ उठाकर उचित मूल्य की दुकानों तक नही पहुंचा कर गेहूँ का विपथन/बदलना करना, अनुबंध की शर्तो का उल्लंधन करना व षडयंत्र पूर्व गेहू का दुरुपयोग व कालाबजारी करना पाया गया है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के खण्ड 11(2) व (3) परन्तुक (1) व (11) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा 274.5 क्वि. गेंहू को राजसात करने की प्रार्थना की गई है।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी. को नोटिस धारा 6बी ईसी एक्ट जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके अभिभाषक भगवतसिंह का वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल मिसिल है। इसके बाद अप्रार्थी या उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये और नाहीं उनकी ओर से धारा 6बी ईसी एक्ट के नोटिस का जबाब पेश किया गया। पैरोकार रसद की बहस इकतरफा में सुनी गई।

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि मोके पर कार्यवाही के दौरान पाई गई मौका परिस्थितियों के साक्ष्यों के आधार खाद्यान्न परिवहनकर्ता मै0 चन्द्रावती होस्पीटेलिटी एण्ड ट्यूरिज्म फर्म एंव उसके प्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित गेहू का उचित मूल्य की दुकानों तक नहीं पहुंचाना, अवैध गोदाम मे गेहूँ का लूज कर मिट्टी मिलाकर कट्टों में भरना, भारतीय खाद्य निगम से गेहूँ उठाकर उचित मूल्य की दुकानों तक नही पहुंचा कर गेहूँ का विपथन/बदलना करना, अनुबंध की शर्तो का उल्लंधन करना व षडयंत्र पूर्व गेहू का दुरुपयोग व कालाबजारी करना पाया गया है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के खण्ड 11(2) व (3) परन्तुक (1) व (11) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा 274.5 क्वि. गेंहू को राजसात करने की प्रार्थना की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पैरोकार रसद के कथनों पर गौर किया गया। अप्रार्थी का बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आना अप्रत्यक्ष रुप से यह जाहिर करता है कि उसे उक्त प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। यानि प्रवर्तन निरीक्षक रसद द्वारा की गई कार्यवाही को स्वीकार करता है। पत्रावली में उपलब्ध फर्द मौका दिनांक 12.12.2021 का अवलोकन किया गया। फर्द मौका पर उपस्थित गवाहान के हो रहे हस्ताक्षरों से स्पष्ट है कि फर्द कार्यवाही से अप्रार्थी के प्रतिनिधी को कोई एतराज नहीं है। मौका परिस्थितियों के साक्ष्यों के आधार खाद्यान्न परिवहनकर्ता मै0 चन्द्रावती होस्पीटेलिटी एण्ड ट्यूरिज्म फर्म एंव उसके प्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित गेहू का उचित मूल्य की दुकानों तक नहीं पहुंचाना अवैध गोदाम मे गेहूँ का लूज कर मिट्टी मिलाकर कट्टों में भरना, भारतीय खाद्य निगम से गेहूँ उठाकर उचित मूल्य की दुकानों तक नही पहुंचा कर गेहूँ का विपथन/बदलना करना, अनुबंध की शर्तो का उल्लंधन करना व षडयंत्र पूर्व गेहू का दुरुपयोग व कालाबजारी करना पाया गया है, अप्रार्थी का यह कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के खण्ड 11(2) व (3) परन्तुक (1) व (11) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा 274.5 क्वि. गेंहू को राजसात (Confiscate) किया जाना उचित पाते हैं।

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त जप्तशुदा 274.5 क्वि. गेंहू को राजसात (Confiscate) किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 15.2.2022 को अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिये जा चुके हैं। अतः जिला रसद अधिकारी तद्नुसार कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2024 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर